इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2013—माघ 26, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.

(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.

(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. एफ. 2-1-2012-सात-शा-6.—निर्धारण के परिवर्तन और प्रीमियम के अधिरोपण से संबंधित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 के साथ पठित धारा 258 की

उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (पैंतालीस-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 175-6477-सात-एन (नियम) दिनांक 6 जनवरी 1960 को अतिष्ठित करते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर, उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप नियम

1. इन नियमों में 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959).

2. ये नियम दिनांक 30 दिसम्बर 2011 से लागू होंगे :

परन्तु 30 दिसम्बर, 2011 से इन नियमों का राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख तक की कालावधि के दौरान व्यपवर्तित भूमि की दशा में, प्रीमियम का अधिरोपण तथा निर्धारण का नियतन, 30 दिसम्बर 2011 को प्रचलित नियमों के अनुसार इस प्रकार किया जाएगा मानो कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 42 सन् 2011) पारित ही नहीं हुआ हो.

क-निर्धारण में परिवर्तन

3. जब ऐसी भूमि, जो पहले से ही कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित हो और उसी आधार पर पुनर्निधारित हो, कृषि के प्रयोजन के लिये पुनः व्यपवर्तित की जाती है तो इस प्रकार पुनः नियत किया गया निर्धारण, भूमि के उस कृषि निर्धारण के बराबर होगा जो अंतिम बंदोबस्त के समय निश्चित हुआ हो.

4. जब ऐसी भूमि, जो पहले से ही कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित हो और उसी आधार पर निर्धारित हो, कृषि के प्रयोजन के लिये पुनः व्यपवर्तित की जाती है और इस संबंध में आश्रय लेने के लिये कोई कृषि निर्धारण न हो, तो पुनः व्यपवर्तन पर निर्धारण उसी दर से निश्चित किया जाएगा जो कि उसी गांव में या पड़ोस के गांव में वैसी ही मिट्टी के लिये अंतिम बंदोबस्त के समय स्वीकृत की गई हो.

5. नियम 3 और 4 के अधीन निश्चित किया गया निर्धारण गांव के अगले उत्तरवर्ती बंदोबस्त तक प्रभावशील रहेगा.

6. यदि कोई भूमि, जिसका निर्धारण किसी एक प्रयोजन के लिये हुआ हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित की जाती है, तो उस पर निर्धारण का पुनरीक्षण किया जाएगा और भू-राजस्व को, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट दरों से निश्चित किया जाएगा:

परन्तु जहां भूमि, एक से अधिक कृषि से भिन्न प्रयोजनों (मिश्रित उपयोग) से व्यपवर्तित की गई हो, उस पर निर्धारण अनुसूची में विनिर्दिष्ट इन प्रयोजनों के उपयोग के अनुपात में नियत किया जाएगा.

ख-प्रीमियम का अधिरोपण

7. जब कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये निर्धारित कोई भूमि, कृषि के प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित की जाती है तो संहिता की धारा 59 की उपधारा (5) के अधीन कोई प्रीमियम अधिरोपित नहीं किया जाएगा.

8. यदि कोई भूमि, जिसका निर्धारण किसी एक प्रयोजन के उपयोग के लिये हुआ हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित

की जाती है तथा उस पर नियम 6 के अधीन भू-राजस्व नियत किया गया है, तो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अनुसार, कालम (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी दरों पर प्रीमियम अधिरोपित किया जाएगा:

परन्तु पूर्त प्रयोजनों हेतु किसी भूमि के लिये व्यपवर्तन के लिये कोई प्रीमियम अधिरोपित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि नगरेत्तर क्षेत्रों में, ऐसी कृषि भूमि पर, जो कि निवासगृहों के लिये आवासीय प्रयोजनों में व्यपवर्तित की गई हो, यदि व्यपवर्तित भूमि का क्षेत्रफल एक सौ वर्ग मीटर से अनधिक हो और ऐसी भूमि पर कच्चा निर्माण किया गया हो, कोई प्रीमियम देय नहीं होगा.

स्पष्टीकरण.—'कच्चा निर्माण' से अभिप्रेत है, ऐसा निर्माण जिसमें केवल मिट्टी और लकड़ी (इमारती लकड़ी को छोड़कर) का उपयोग किया गया हो.

9. उस दशा में, जब कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तित भूमि कृषि या अन्य प्रयोजन के लिये पुनः व्यपवर्तित की जाए, तो भूमि का धारक अथवा उसके स्वत्वाधिकार का उत्तराधिकारी वयपवर्तन के लिये पूर्व में भुगतान किये गये प्रीमियम की रकम को वापस पाने अथवा मुजराई का हकदार नहीं होगा.

10. व्यपवर्तन के कारण निर्धारण में हुए समस्त परिवर्तन, अधिकार अभिलेख में तथा धारा 114 के अधीन विहित अन्य अभिलेखों में प्रविष्ट किए जाएंगे और यथास्थिति, सर्वेक्षण संख्यांक अथवा भू-खण्ड संख्यांक के संबंध में भी आवश्यक सुधार किए जाएंगे:—

अनुसूची

(नियम 6 तथा 8 देखिए)

अनुक्रमांक (1)	भूमि का उपयोग (2)	प्रीमियम की दर (3)	भू-राजस्व के पुनर्निर्धारण की दर (4)
1.	निवासगृह के लिये आवासीय प्रयोजन लिए—		
	(क) यदि व्यपवर्तित क्षेत्र 500 वर्गमीटर से अधिक नहीं हो.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 4 प्रतिशत	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.8 प्रतिशत
	(ख) यदि व्यपवर्तित क्षेत्र 500 वर्गमीटर से अधिक हो.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 6 प्रतिशत	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 1.2 प्रतिशत
2.	शैक्षणिक प्रयोजन के लिये	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 6 प्रतिशत	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 1.2 प्रतिशत
3.	औद्योगिक प्रयोजन के लिये	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 8 प्रतिशत	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 1.6 प्रतिशत
4.	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत.
5.	धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट खनि प्रयोजन के लिये	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत.
6.	पूर्त प्रयोजन के लिये	कोई प्रीमियम उद्गृहीत नहीं किया जाएगा.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.4 प्रतिशत

स्पष्टीकरण.— (1) उपरोक्त अनुसूची के अनुसार प्रीमियम तथा निर्धारण की गणना हेतु समस्त भूमि को सिंचित कृषि भूमि के रूप में माना जाएगा.

स्पष्टीकरण (2) "पूर्त प्रयोजन" से अभिप्रेत है, शारीरिक और अथवा मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिये संस्था/अनाथाश्रम स्थापित करना, लड़कियों तथा कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास स्थापित करना, वृद्धाश्रम स्थापित करना, खेलकूद संबंधी सुविधाएं विकसित करना और ऐसा ही कोई अन्य प्रयोजन जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा अधिसूचित करे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. एफ-2-1-2012-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-2-1-2012-सात-शा-6, दिनांक 15 फरवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

NOTICE

Bhopal, the 15th February 2013

No. F 2-1-2012-VII-Sec. 6.—The following draft of rules regarding alteration of assessment and imposition of premium which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (XLV-a) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), and in supersession of this Department's notification No. 175-6477-VII-N (Rules) dated 6th January, 1960, is hereby published as required by sub-section (3) of Section 258 for information of all persons likely to be affected thereby and Notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this Notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of rules on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT RULES

1. In these rules "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

2. These rules shall be applicable from 30th December, 2011 :

Provided that in case of land diverted during the period from 30th December, 2011 to date of publication of these rules in the Official Gazette, the imposition of premium and fixation of assessment shall be done in accordance with the rules prevailed on 30th December, 2011 as if the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2011 (No. 42 of 2011) had not been passed.

A-ALTERATION OF ASSESSMENT

3. When land already diverted to a non-agricultural purpose and re-assessed on that basis is re-diverted to an agricultural purpose, the assessment as re-fixed shall be equal to the agricultural assessment on the land as fixed at the last settlement.

4. When land already diverted to a non-agricultural purpose and assessed on that basis is re-diverted to an agricultural purpose and there is no agricultural assessment to fall back upon, the assessment on re-diversion shall be fixed at the rate adopted for similar soil in the same village or in a neighbouring village at the last settlement.

5. The assessment fixed under rule 3 to 4 shall remain in force till the next succeeding settlement of the village.

6. Where land assessed for use for any one purpose is diverted to any other purpose, the assessment thereon shall be revised and the land revenue shall be fixed in accordance with the rates specified in column (4) of the Schedule appended to these rules :

Provided that where land is diverted into more than one non-agricultural purpose (mixed use), the assessment thereon shall be fixed in proportions to the uses of these purposes specified in the Schedule.

B-IMPOSITION OF PREMIUM

7. When the land assessed for any non-agricultural purpose is diverted to any agricultural purpose no premium shall be imposed under sub-section (5) of Section 59 of the Code.

8. Where land assessed for use for any one purpose is diverted to any other purpose, and land revenue is fixed thereon under rule 6, the premium shall be imposed according to the purposes specified in Column (2) to the corresponding rates specified in Column (3) of the schedule appended to these rules :

Provided that no premium shall be imposed for the diversion of any land for charitable purposes :

Provided further that no premium shall be payable on agricultural land diverted into residential purposes for dwelling houses, in non-urban areas, if the area of diverted land is not exceeding one hundred square meter and Kachcha construction is built on such land.

Explanation..— 'Kachcha' construction means such construction in which only clay and wood (excluding timber wood) are used.

9. In the event of the land diverted to non-agricultural purposes being re-diverted to an agricultural or any other purpose, the holder of the land or his successor-in-title will not be entitled to get a refund or set off of the amount of premium already paid for diversion.

10. All changes in assessment on account of diversion shall be brought on the record-of-rights and other record prescribed under section 114 and necessary corrections shall also be made in respect of the survey numbers or plot numbers, as the case may be.

SCHEDULE
(See rule 6 and 8)

S. No.	Use of Land	Rate of Premium	Rate for re-assessing the land revenue
(1)	(2)	(3)	(4)
1	for residential purpose for dwelling house.—		
	(a) if the area diverted is not more than 500 sq. mtr .	4% of Market Value of agricultural land	0.8% of the market value of agricultural land

(1)	(2)	(3)	(4)
	(b) if the area diverted is more than 500 sq. mtr.	6% of Market Value of agricultural land.	1.2% of the market value of agricultural land
2	for educational purpose	6% of Market Value of agricultural land.	1.2% of the market value of agricultural land.
3	for industrial purpose	8% of Market Value of agricultural land.	1.6% of the market value of agricultural land.
4	for commercial purpose	10% of Market Value of agricultural land.	2% of the market value of agricultural land.
5	for mining purpose specified in clause (f) of sub-section (1) of Section 59.	25% of Market Value of agricultural land.	5% of the market value of agricultural land.
6	for Charitable purpose	no Premium shall be levied	0.4% of the market value of agricultural land.

Explanation.—(1) For the calculation of premium and assessment according to Schedule above, all land shall be treated as irrigated agricultural land.

Explanation.—(2) "Charitable purpose" means establishing institute for physically and or mentally challenged, orphanages, hostels for girls and working women, old age homes, developing sports facility and any purpose which the State Government may so notify by an order.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Secy.

सूचना

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. एफ. 2-8-2012-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश राजस्व अभिलेख नियम, 1959 के भाग-3 अभिलेख की कम्प्यूटरीकृत प्रति का प्रदाय से संबंधित नियमों में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 256 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (उनहत्तर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिये, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर, संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि संशोधन के उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 56 में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) एकसाला/पांचसाला खसरे के प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक के लिये या प्रत्येक खाता (धृति) जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट के लिये. रुपये 10.00";

(दो) खण्ड (ग) के नीचे आने वाले पैरा में, शब्द ''सर्वेक्षण संख्यांक'' के स्थान पर, शब्द ''वाजिब-उल-अर्ज या निस्तार पत्रक'' स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. एफ-2-8-2012-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-2-8-2012-सात-शा-6, दिनांक 15 फरवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

NOTICE

Bhopal, the 15th February 2013

No. F. 2-8-2012-VII-Sec.6.— The following draft of amendment to the rule regarding Part III Supply of Computrised Copy of Record of the Madhya Pradesh Revenue Records rules, 1959, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (LXIX) of sub-section (2) of section 258 read with Section 256 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) is hereby published as required by sub-section (3) of the said Section for information of all person likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft amendment will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment rules on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

(1) In the said rules, in rule 56,—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a)	for every survey number of Eksala/ Panchsale Khasra or for every Khata (holding) Jamabandi, Record of Right, Khewat.	Rs. 10.00";

(ii) in para occurring below clause (c), for the words "survey number", the words "Wajib-ul-arz or Nistar Patrak" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.